

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

निर्मला छाया भवन, मीरा दातार रोड, भांकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)



रायपुर, दिनांक 02/02/2011


## संशोधित आदेश

क्रमांक/ 45/2011, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 39, दिनांक 02/2/2011 को निरस्त करते हुये बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति आबंटन में से जिला कोरबा के 29 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रुपये 10,000/- के मान से (केन्द्रांश) राशि रुपये 2,90,000/- (रु. दो लाख नब्बे हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या-18, शीर्ष-2230 - श्रम और रोजगार, (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701 - केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।


यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 13/30985/बी-1/4/2010, दिनांक 27.01.2011 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

  
उप श्रमायुक्त (बंधक श्रम)  
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर  
रायपुर, दिनांक 02.02.2011

पु. क्रमांक/01/ब.श्र./ब.अ./2002/1154-1162,  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-4/53/2010/16, दिनांक 29.01.11 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर, कोरबा की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह राशि आहरण कर रुपये 10,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. कोषालय अधिकारी, कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सहायक श्रमायुक्त, कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

  
उप श्रमायुक्त (बंधक श्रम)  
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर